



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक- 22.03.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इकबाल पुत्र मकबूल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभि0 इकबाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इकबाल पुत्र मकबूल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2215 जितेन्द्र शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1800 गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 22.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को 30 पाउच सुनामी नं0 1 देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त मोनू उर्फ धीर पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम कोकापुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 30 पाउच सुनामी नं0 1 देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 110/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभि0 मोनू उर्फ धीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू उर्फ धीर पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम कोकापुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

30 पाउच सुनामी नं0 1 देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. हे0का0 359 रवि शंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 789 संदीप कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 22.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	को० शहर	हितेश पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम जलालपुर काजी थाना को० शहर जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	राकेश पुत्र देवराज नि० मौ० मजीदगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3	नजीबाबाद	इसरार पुत्र हमीद नि० ग्राम जिन्दरपुर थाना को० शहर जनपद बिजनौर
4	धामपुर	अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह नि० मौ० चम्पा देवी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	नहतौर	ओमप्रकाश पुत्र रतिराम नि० ग्राम तालमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
6	अफजलगढ़	रफत इकबाल पुत्र इशहाक नि० मौ० बेगम सराय थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
7	अफजलगढ़	विरेन्द्र पुत्र रामचरण नि० ग्राम अलियारपुर थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर
8	नांगल	गजेन्द्र पुत्र मगन सिंह नि० ग्राम हरचंदपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर
9	हीमपुर दीपा	राशिद पुत्र अ० शकूर नि० ग्राम नसीरपुर शेख थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
10	हीमपुर दीपा	असमल पुत्र बुन्दु नि० ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
11	हीमपुर दीपा	जाकिर पुत्र हनीफ नि० ग्राम रहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



थाना को० शहर



थाना नजीबाबाद



थाना नजीबाबाद



थाना धामपुर



थाना नहतौर



थाना अफजलगढ



थाना अफजलगढ



थाना नांगल



थाना हीमपुर दीपा



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 22.03.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त फईम पुत्र मोइनुद्दीन निवासी मौ० चाहशीरी बी 24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 240/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फईम पुत्र मोइनुद्दीन निवासी मौ० चाहशीरी बी 24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास फईम उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 876/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 02/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधि० एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 295/2020 धारा 5/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 85/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 240/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० यशदेव शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का० 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंड़ावर

दिनांक - 22.03.2024

थाना मंड़ावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिषेक पुत्र बच्चन पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम खुराहेड़ी थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक पुत्र बच्चन पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम खुराहेड़ी थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 अवैध तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभिषेक उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 277/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 कुंवरपाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 2094 अंकित थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल

दिनांक – 22.03.2024

थाना नांगल पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस द्वारा दिनांक 09.02.2024 से 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा० न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि के दौरान जनपद की सीमा में पाये जाने पर जिलाबदर अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र मगन सिंह निवासी ग्राम हरचंदपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु०अ०सं० 72/2024 धारा 10 गुण्डा अधि० बनाम गजेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गजेन्द्र पुत्र मगन सिंह निवासी ग्राम हरचंदपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर

अभियुक्त गजेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 66/18 धारा 323/324/504 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 76/22 धारा 323/325/504 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 160/22 धारा 147/148/149/307/504 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 201/22 धारा 504/506 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० देवदत्त गौड़ थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. कां० 2570 रितेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक - 22.03.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रवीन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुन्दीखेडी थाना जावर जनपद सिहोर, मध्यप्रदेश हाल निवासी ग्राम दरियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 143/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवीन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुन्दीखेडी थाना जावर जनपद सिहोर, मध्यप्रदेश हाल निवासी ग्राम दरियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 अवैध तमचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. हे0का0 520 विपिन कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 3.हो0गा0 720 नौबहार सिंह थाना नजीबाबाद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 22.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शहजाद उर्फ लंगडा पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध शस्त्र 12 बोर व 02



जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 147/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम शहजाद उर्फ लंगडा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शहजाद उर्फ लंगडा थाना किरतपुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0 नं0 15ए) है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर गम्भीर धाराओं में दर्जनों से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद उर्फ लंगडा पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 203/2011 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 49/2015 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 177/2015 धारा 379/411/414 भादवि 41 सीआरपीसी व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 458/2015 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 135/2016 धारा 379/411 भादवि थाना नागल जनपद बिजनौर

6. मु०अ०सं० 490/2016 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. मु०अ०सं० 118/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर
8. मु०अ०सं० 244/17 धारा 147/224/225/353/504 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
9. मु०अ०सं० 385/2018 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
10. मु०अ०सं० 61/2018 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
11. मु०अ०सं० 325/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
12. मु०अ०सं० 326/2020 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
13. मु०अ०सं० 330/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
14. मु०अ०सं० 374/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
15. मु०अ०सं० 147/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ०नि० श्री जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2-हे०कां० 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3-कां० 689 गौरव तेवतिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक - 22.03.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त गुरलाल पुत्र सरदार अमरीक नि० पहलवान का डेरा ग्राम ज्वाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध तंमचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर पर मु०अ०सं० 70/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गुरलाल पुत्र सरदार अमरीक नि० पहलवान का डेरा ग्राम ज्वाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी -

01 अवैध तंमचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ०नि० सतीश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. का० 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 22.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान उर्फ जॉन पुत्र जमील निवासी ग्राम सदरुद्दीननगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इमरान उर्फ जॉन पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान उर्फ जॉन पुत्र जमील निवासी ग्राम सदरुद्दीननगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2159 आकाश यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1858 मनीष थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 22.03.2024

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में
वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.03.2024 को वादिनी इकराना पत्नी रईसुद्दीन निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र मौहम्मद उमर 2. नदीम पुत्र आलम 3.आलम पुत्र भूरे निवासीगण ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के द्वारा वादिनी के पुत्र साकिब व भांजे जावेद के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की व जान से मारने की नीयत से लाठी - डण्डो से सिर पर वार किया । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.03.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त शहजाद पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहजाद पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 22.03.2024

थाना बढापुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अय्यूब उर्फ मुगरी पुत्र अली हसन निवासी मौ० पक्का बाग करबा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु०अ०सं० 50/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अय्यूब उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अय्यूब उर्फ मुगरी पुत्र अली हसन निवासी मौ० पक्का बाग करबा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु०अ०सं० 363/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 50/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.हे०कां० 507 प्रविन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.हे०कां० 727 संजय शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 4.हे०कां० 434 आशिष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर